न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 41 / 2023 (अपील)

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र स्व0 छीतरलाल जाति मीणा आयु 45 साल निवासी रामपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. केलन्ता पत्नी रामेश्वर जाति मीणा निवासी रामपुरा हाल निवासी खोडावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

2. पुष्पाबाई पत्नी स्व0 छीतरलाल जाति मीणा निवासी रामपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री हेमराज मीणा (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री रमाकान्त लोहिया (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट 1की ओर से)
3. श्री धारासिह (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट 2की ओर से)

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1195 दिनांक 10.04.2023 अधिनस्थ न्यायालय पीपल्दा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक : 21.06.2024

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1195 दिनांक 10.04.2023 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत पेश की गई ।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

.3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है अपीलाण्ट की पुश्तैरी अविभाजित भूमि ग्राम रामपुरा तहसील पीपल्दा में खाता संख्या नया 238 पुराना 222 की ख0न0 126 रकबा 4.01 हैक्टर न0 143 रकबा 2.45 हे0 ख0न0 438

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

रकबा 0.05 है0 ख0न0 439 रकबा 0.42 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 6.93 है0 भूमि स्थित है, जिस पर अपीलाण्ट अपने दादाजी व पिताजी के साथ बदस्तूर निर्बाध रूप से भौतिक रूप से काबिज काश्त है। वर्तमान में उक्त आराजी पर प्रार्थी द्वारा सोयाबीन की फसल की बुवाई की हुई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.2023 को नामांतरणकरण संख्या 1195 बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रेस्पोडेन्ट न0 1 के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि रेस्पो0न0 1 को उक्त भूमि में अपीलाण्ट की पत्नी होने पर केवल भरण पोषण का ही अधिकार है तथा यदि उसका हिस्सा बतौर भरण पोषण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत रेस्पो0 न 3 द्वारा या न्यायालय एस0डी0 ओ0 इटावा द्वारा माना भी जाता है तो अपीलाण्ट के साथ ही विवादित भूमि मे 1/6 हिस्से में बतौर भरण पोषण की अधिकारणी है, इसके लिये अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में रिट याचिका भी प्रस्तुत कर रखी है। उक्त रिट याचिका की प्रति पेश करने का अवसर अपीलाण्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया। अपीलाण्ट को बिना सुने ही एक पक्षीय रूप से नामा0 तस्दीक कर दिया गया है, जो कि विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। पक्षकारान मीणा जाति होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है, पुराना हिन्दु लॉ के तहत पत्नी को ससुराल की सम्पत्ति में अपने पति के हिस्से से भरण पोषण के रूप में ही अधिकर प्राप्त है। सम्पत्ति में अधिकार दर्ज कराने का कानूनी प्रावधान नहीं है, जबकि विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट न0 1 द्वारा पंजाब नेशनल बैक द्वारा ऋण तक प्राप्त कर लिया गया है। रेस्पोडेन्ट न0 1 द्वारा की गई कार्यवाही यानि कि प्राप्त किया गया लोन भी अवैध है और विवादित नामांतरण संख्या 1195 भी अवैध है। ऐसी अवस्था में विवादित किया जाना उक्त सम्पत्ति की संरक्षा व सुरक्षा हेतु न्यायहित में आवश्यक है, इसलिए नामान्तरकरण संख्या 1195 के बाबत जमाबन्दी में विवादित का नोट तो जरूरी है ही, ताकि सम्पत्ति की संरक्षा व सुरक्षा हो सके। अतः अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर नामांतरण संख्या 1195 को निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला नामान्तकरण 1195 आदेश 10.04.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा के आदेश की ड्रिकी की पालना में खोला गया है,जो सही है। अगर ड्रिकी से नामान्तरण खोला गया हो तो उसकी अपील नहीं हो सकती है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है।अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज की जावे।

5 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलाण्ट ने फर्द दस्तोवेजो की सूची प्रस्तुत कर बहस में अवगत कराया है कि उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में एस0बी0सिविल रिट पीटीशन न0 12416/2023 सावित्री पत्नि पप्पू बनाम हरिओम पुत्र रामेश्वर जैरकार है। अतः उक्त विवादित आरजी के सम्बन्ध मे प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे विचाराधीन होने से इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील में निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।"

अति. जिला कलक्टर
कोटा

6 . परिणामस्वरूपः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

अति. जिला कलेक्टर
कोटा